भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1352

(30 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा को जारी निधि

1352. प्रो. सौगत राय:
श्री खलीलुर रहमान:
श्री कोडिकुन्नील सुरेश:
श्री दीपक अधिकारी (देव):
श्रीमती माला राय:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल और केरल सहित कई राज्यों के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के लिए केन्द्र के हिस्से का आवंटन अभी तक नहीं किया है;

(ख) यदि हां , तो पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्यों को मनरेगा बकाया का विशेष रूप से पश्चिम बंगाल और केरल सहित वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बकाया राशि वितरित करने के लिए कोई समय-सारिणी तय की है , यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान मनरेगा के तहत आवंटित धनराशि का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान मनरेगा के तहत राज्य सरकारों द्वारा आवंटित , जारी और उपयोग की गई धनराशि का विशेष रूप से पश्चिम बंगाल सहित वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) पश्चिम बंगाल सरकार को जारी किए जाने की तिथि सहित अंतिम भुगतान का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या निधि का दुरुपयोग किया गया है और देशभर से बड़ी मात्रा में धनराशि निकाल ली गई है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या सरकार का मनरेगा कामगारों की मजदूरी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़कर केरल सहित किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 हेतु योजना के तहत मजदूरी घटक भुगतान के लिए कोई बकाया नहीं है।

पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में , वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 4,137 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1,416 करोड़ रुपये की देनदारी लंबित है , क्योंकि केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधानों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत राज्य को निधि जारी करना 09 मार्च 2022 से रोक दिया गया है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 के प्रावधानों के अनुसार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन तथा इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। साथ ही, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, यदि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने में पूरी तरह सफल नहीं होती है तो केंद्र सरकार को उचित दिशा-निर्देश जारी करने के साथ-साथ निधि जारी करने पर रोक लगाने का भी अधिकार है।

इस मंत्रालय ने निर्देशों के अनुपालन हेतु पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित कर दिया है, जिसके अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

तीन वित्तीय वर्षों 2021-22, 2022-23, 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25 तक (25.07.2024 तक की स्थिति अनुसार) महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मजदूरी घटक के लिए लंबित देनदारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

तीन वित्तीय वर्षों 2021-22, 2022-23, 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25 तक (25.07.2024 की स्थिति अनुसार) महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत सामग्री घटकों के लिए लंबित देनदारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुबंध II** में दिया गया है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भारत सरकार को निधि जारी करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। मंत्रालय समय-समय पर दो किस्तों में निधि जारी करता है, जिसमें प्रत्येक किस्त में एक या अधिक किस्तें शामिल होती हैं , जिसमें श्रम बजट के लिए "सहमति" , कार्यों की मांग, प्रारंभिक शेष राशि, निधियों के उपयोग की गति, लंबित देनदारियाँ, समग्र प्रदर्शन को ध्यान में रखा जाता है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रासंगिक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने के अधीन होता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर काम की मांग के अनुसार योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 के दौरान (25.07.2024 तक) महात्मा गांधी नरेगा के तहत जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

(घ): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक (25.07.2024 की स्थिति अनुसार) किए गए व्यय (राज्य अंश सहित) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

(ङ): वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान (31.01.2022 की स्थिति के अनुसार) महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पश्चिम बंगाल राज्य को मजदूरी , सामग्री और प्रशासनिक आकस्मिकता के लिए 7,507,80 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

(च): महात्मा गांधी नरेगा योजना उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण करते समय अकुशल कार्य करने के इच्छुक ग्रामीण आबादी को रोजगार के अवसर प्रदान करता है।

पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिनमें जियो-टैगिंग, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) , राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस), आधार आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) और राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली, रोजगार के लिए ग्रामीण दरों का उपयोग करके अनुमान गणना के लिए सॉफ्टवेयर (सिक्योर), राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर (एनएलएम) और सामाजिक लेखा परीक्षा शामिल हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए , ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर (एनएलएम) के रूप में सूचीबद्ध स्वतंत्र एजेंसियों को विशेष निगरानी दौरे करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। एनएलएम एजेंसियों को योजना के तहत की गई प्रगति का निरीक्षण और निगरानी करने तथा उसमें कार्यान्वयन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए चयनित जिलों का दौरा करना था।

केंद्रीय टीम द्वारा विभिन्न राज्यों में किए गए निगरानी दौरों तथा वसूल की गई/वसूली के लिए अनुशंसित राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	राज्य	वसूल की गई राशि
1	पश्चिम बंगाल	161 लाख रुपये
2	तेलंगाना	11791 लाख रुपये
3	पंजाब	42.31 लाख रुपये
4	केरल	25.54 लाख रुपये
5	*मध्य प्रदेश	147.96 लाख रुपये
6	*राजस्थान	16.21 लाख रुपये

* राशि की वसूली के लिए राज्य को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त , महात्मा गांधी नरेगा , 2005 की धारा 17 में ग्राम सभा को सामाजिक लेखा परीक्षा करने का आदेश दिया गया है। अधिनियम में ग्राम सभा द्वारा कार्यों की सामाजिक लेखा परीक्षा अनिवार्य किया गया है। सामाजिक लेखा परीक्षा वसूली पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विस्तृत रिपोर्ट **अनुबंध-V** के रूप में संलग्न है।

इसके अलावा, महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची I के पैरा 30 में यह अनिवार्य किया गया है कि प्रत्येक जिले में शिकायतें प्राप्त करने , जांच करने और दिशानिर्देशों के अनुसार निर्णय पारित करने के लिए एक लोकपाल होगा। 25.07.2024 की स्थिति के अनुसार , लोकपालों को 8,784 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और अब तक 6,630 से अधिक का निपटान किया जा चुका है।

(छ): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 की धारा 6 (1) के अनुसार, केंद्र सरकार अपने लाभार्थियों के लिए मजदूरी दरें विनिर्दिष्ट करती है। ये दरें कृषि श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) का उपयोग करके निर्धारित की जाती हैं। मुद्रास्फीति की भरपाई के लिए मनरेगा लाभार्थियों को ग्रामीण विकास मंत्रालय सीपीआई-एएल में परिवर्तन के आधार पर हर साल मजदूरी दरों में संशोधन करता है, जिसमें प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पास केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित दरों से अधिक मजदूरी प्रदान करने का विकल्प होता है।

लोक सभा में दिनांक 30.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1352 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

तीन वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25 तक के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मजदूरी घटक हेतु लंबित देनदारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (25.07.2024 तक) (रु. लाख में)		
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मजदूरी के लिए लंबित देनदारी
1	आंध्र प्रदेश	200358.30
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00
3	असम	2673.42
4	बिहार	70467.09
5	छत्तीसगढ	65253.10
6	गोवा	0.00
7	गुजरात	0.00
8	हरयाणा	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	0.00
10	जम्मू एवं कश्मीर	407.36
11	झारखंड	0.00
12	कर्नाटक	44269.89
13	केरल	0.00
14	मध्य प्रदेश	0.00
15	महाराष्ट्र	82260.44
16	मणिपुर	0.00
17	मेघालय	1596.10
18	मिजोरम	0.00
19	नागालैंड	0.00
20	ओडिशा	4325.03
21	पंजाब	0.00
22	राजस्थान	125435.13
23	सिक्किम	0.00
24	तमिलनाडु	0.00
25	तेलंगाना	94790.83

26	त्रिपुरा	6046.96
27	उत्तर प्रदेश	6169.85
28	उत्तराखंड	2280.64
29	पश्चिम बंगाल	*276500.00
29	अंडमान और निकोबार	0.00
30	लक्षद्वीप	0.00
31	पुदुचेरी	36.06
32	लद्दाख	0.00
33	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00

*केन्द्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधान के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य को धनराशि जारी करना रोक दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 30.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1352 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

तीन वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25 तक के लिए महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत सामग्री घटकों के लिए लंबित देनदारियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (25.07.2024 तक) (रु. लाख में)		
क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सामग्री घटकों के लिए लंबित देनदारी
1	आंध्र प्रदेश	7814.03
2	अरुणाचल प्रदेश	674.46
3	असम	2960.39
4	बिहार	8361.98
5	छत्तीसगढ	11139.20
6	गोवा	5.54
7	गुजरात	4063.38
8	हरियाणा	1573.00
9	हिमाचल प्रदेश	1563.68
10	जम्मू एवं कश्मीर	13263.59
11	झारखंड	9561.86
12	कर्नाटक	19999.04
13	केरल	6884.54
14	मध्य प्रदेश	52852.89
15	महाराष्ट्र	84616.17
16	मणिपुर	1746.48
17	मेघालय	2695.79
18	मिजोरम	5.31
19	नागालैंड	575.12
20	ओडिशा	4159.82
21	पंजाब	12348.05
22	राजस्थान	7926.58
23	सिक्किम	605.87
24	तमिलनाडु	5283.83
25	तेलंगाना	26271.42

26	त्रिपुरा	545.80
27	उत्तर प्रदेश	113027.45
28	उत्तराखंड	9271.79
29	पश्चिम बंगाल	*278800.00
29	अंडमान और निकोबार	43.44
30	लक्षद्वीप	0.00
31	पुदुचेरी	0.30
32	लद्दाख	324.70
33	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	18.99

*केन्द्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधान के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य को धनराशि जारी करना रोक दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 30.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1352 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-।।

वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत जारी धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा (लाख रुपए में) (25.07.2024 तक)।					
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
1	आंध्र प्रदेश	718267.16	798909.30	733263.27	426422.61
2	अरुणाचल प्रदेश	45374.43	57757.99	42609.96	25058.38
3	असम	222026.01	205234.84	222138.42	68050.37
4	बिहार	540736.96	639528.76	620003.36	398886.54
5	छत्तीसगढ़	389433.98	338355.40	288855.54	165048.31
6	गोवा	3.81	511.53	87.66	117.90
7	गुजरात	161524.32	169207.36	180161.53	102877.01
8	हरियाणा	72267.99	37398.62	47671.30	28663.91
9	हिमाचल प्रदेश	97575.08	115747.62	99712.77	69661.35
10	जम्मू और कश्मीर	95013.74	105061.12	92043.98	46357.44
11	झारखंड	306382.91	270863.73	291675.98	160023.93
12	कर्नाटक	602807.73	622528.20	541574.08	247590.19
13	केरल	355193.00	381842.70	351347.71	110286.62
14	मध्य प्रदेश	847908.76	570213.49	587114.16	305902.55
15	महाराष्ट्र	205645.71	254973.07	303444.00	175969.66
16	मणिपुर	56310.74	108663.26	0.00	14551.03
17	मेघालय	112166.07	111691.95	91232.76	52201.51
18	मिजोरम	54891.55	53871.87	50605.52	28573.73
19	नागालैंड	56945.51	89744.90	63795.90	16700.44

20	ओडिशा	568015.17	463836.25	489188.67	224009.64
21	पंजाब	125759.36	118213.27	116654.76	43525.65
22	राजस्थान	986774.85	966299.14	867162.28	435177.16
23	सिक्किम	11241.97	9255.39	11195.38	4628.03
24	तमिलनाडु	963813.22	970662.48	1260336.00	198485.94
25	तेलंगाना	410519.85	298868.14	350859.24	257225.74
26	त्रिपुरा	98888.29	92203.45	104358.71	37477.77
27	उत्तर प्रदेश	850956.51	1062900.83	980854.56	432611.40
28	उत्तराखंड	64203.24	79284.44	55165.81	22559.39
29	पश्चिम बंगाल	750780.15	*0.00	*0.00	*0.00
30	अण्डमान और निकोबार	763.16	960.42	0.00	230.96
31	लक्षद्वीप	30.05	0.00	0.00	0.00
32	पुदुचेरी	1307.28	2494.55	5877.23	1557.83
33	लद्दाख	5904.39	6893.31	6264.09	1014.58
34	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	161.87	221.13	434.26
कुल		**9779432.94**	**9004139.24**	**8855475.75**	**4101881.84**

$ केन्द्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधान के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य को धनराशि जारी करना रोक दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 30.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1352 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध–IV

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत 2021-22 से 2024-25 तक (25.07.2024 तक) किए गए व्यय (राज्य के हिस्से सहित) का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण।					
क्रम सं..	राज्य	व्यय (लाख रुपए में)			
		2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	829110.2	862312.5	894055.7	510720.9
2	अरुणाचल प्रदेश	47833.97	58313.24	58110.77	6360.63
3	असम	238095.4	204199.3	243644	58958.88
4	बिहार	650209.4	668395	789647	337549.8
5	छत्तीसगढ	397973.1	358997	384814.2	218565.9
6	गोवा	374.68	421.75	256.05	78.89
7	गुजरात	173542.1	197362.4	204131.3	68793.1
8	हरियाणा	70701.3	47120.28	58460.49	26188.46
9	हिमाचल प्रदेश	108849.7	129059.2	128827.1	62270.71
10	जम्मू और कश्मीर	114410.4	96867.24	121849.6	24334.03
11	झारखंड	333405.2	294424	378069.1	142593.4
12	कर्नाटक	620263.7	659760.1	661238.5	259873.4
13	केरल	402280.4	399121.6	396894.8	76129.35
14	लद्दाख	5811.47	6746.13	7040.86	361.16
15	मध्य प्रदेश	803623.4	779313.1	713091.4	226147.1
16	महाराष्ट्र	242382.9	302611.3	446352	227198.1
17	मणिपुर	92479.12	80445.89	66417.62	15012.11
18	मेघालय	112716.9	126597.7	109176	53620.74

19	मिजोरम	52990.56	54198.01	70576.72	19531.18
20	नागालैंड	53908	88993.23	77266.97	2352.97
21	ओडिशा	598915.6	553369.7	543343.7	197277.6
22	पंजाब	127934.8	133784.6	131837.6	35607.49
23	राजस्थान	1045432	1018663	935566.3	421547.2
24	सिक्किम	11775.59	10653.27	12864.66	2197.88
25	तमिलनाडु	979561.6	1142098	1339289	216708.3
26	तेलंगाना	418935.6	344315.7	407267.2	239047
27	त्रिपुरा	108460.1	100811.2	112695.9	33967.58
28	उत्तर प्रदेश	875803	1193285	1139651	344749.1
29	उत्तराखंड	62860.76	90909.72	72317.7	18108.26
30	पश्चिम बंगाल	1090858	*	*	*
31	अंडमान और निकोबार	620.98	349.36	495.72	174.28
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	108.18	269.26
33	लक्षद्वीप	4.46	12.95	12.58	0
34	पुडुचेरी	1436.41	2371.12	6160.95	824.5

*केन्द्र सरकार के निर्देशों का पालन न करने के कारण महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 27 के प्रावधान के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य को धनराशि जारी करना रोक दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 30.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1352 के भाग (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-V

सामाजिक लेखापरीक्षा वसूली पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विस्तृत रिपोर्ट (15.07.2024 तक)				
क्र.सं.	राज्य का नाम	एसएयू द्वारा रिपोर्ट किए गए मामलों की कुल संख्या	अंतिम वसूली योग्य राशि (रु.)	कुल वसूली गई राशि (रु.)
1	आंध्र प्रदेश	1,97,084	₹23,23,87,267	₹22,03,80,451
2	अरुणाचल प्रदेश	204	₹0	₹0
3	असम	369	₹14,03,333	₹14,03,333
4	बिहार	9,971	₹2,89,78,767	₹2,89,55,883
5	छत्तीसगढ	21,979	₹21,43,25,201	₹20,27,31,230
6	गुजरात	10	₹4,300	₹4,300
7	हरियाणा	43	₹0	₹0
8	हिमाचल प्रदेश	18,285	₹1,87,80,957	₹1,86,78,569
9	जम्मू और कश्मीर	2,442	₹91,64,330	₹91,48,142
10	झारखंड	33,182	₹10,98,25,476	₹10,77,17,550
11	कर्नाटक	99,980	₹31,19,94,599	₹29,28,07,246
12	केरल	4,988	₹78,96,815	₹78,93,072
13	मध्य प्रदेश	9,696	₹3,02,20,349	₹2,72,14,106
14	महाराष्ट्र	1,158	₹69,84,620	₹69,54,428
15	मणिपुर	178	₹14,11,509	₹14,05,509
16	मेघालय	88	₹3,23,546	₹3,23,546
17	मिजोरम	277	₹11,68,279	₹11,68,279
18	नागालैंड	1,356	₹25,47,183	₹25,27,503

19	ओडिशा	10,040	₹4,10,78,525	₹4,06,07,114
20	पंजाब	7,534	₹1,43,08,138	₹1,43,08,138
21	राजस्थान	489	₹91,71,905	₹91,71,905
22	सिक्किम	821	₹1,95,10,314	₹1,90,45,173
23	तमिलनाडु	2,58,704	₹96,89,92,116	₹85,85,81,746
24	तेलंगाना	1,17,626	₹5,24,81,645	₹5,24,81,645
25	त्रिपुरा	2,035	₹1,85,17,439	₹1,63,20,575
26	उतार प्रदेश	17,951	₹8,55,61,137	₹8,43,82,338
27	उत्तराखंड	2,723	₹36,69,147	₹36,67,805
28	पश्चिम बंगाल	3,456	₹26,91,442	₹26,91,442
कुल		**8,22,669**	**₹2,19,33,98,339**	**₹2,03,05,71,028**